RESOLUTION *RE* ABOLITION OF FOOD ZONES

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : (मध्य प्रदेश) : उप सभापति महोदया, मैं अपना निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

> "इस सभा की यह सम्मति है कि इस वर्ष के अच्छे खाद्यान्न उत्पादन, मंडियों में अन्न की उपलब्धि तथा कई राज्यों में तेजी से गिरते जा रहे खाद्यान्न के भावों को देखते हुए खाद्यान्न क्षेत्र अविलम्ब समाप्त कर दिये जायें ।"

महोदया, पहले का जो प्रस्ताव था वह एक राष्ट्र में कई राष्ट्र पैदा करने की दृष्टि से था और मेरा प्रस्ताव एक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की दृष्टि से है । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहां पर प्रकृति की कृपा और जनता के प्रयासों से इस वर्ष अच्छी फसल पैदा हुई है और हमारी जो आवश्यकता है उससे भी अधिक हम उत्पादन कर सकेंगे । शासन की दृष्टि से लगभग 95 मिलियन टन अन्न का उत्पादन होगा, लेकिन लोगों का अनुमान है कि लगभग सौ मिलियन टन से भी अधिक अन्न का उत्पादन होगा। जितना अधिक हो उतनी ही प्रसन्नता की बात है, लेकिन काशस होकर चलना कोई बुरा नहीं होता।

महोदया, अगर हमारे पुराने उत्पादनों को देखा जाय तो उससे लगता है कि हम हमेशा अपनी मांग के मुकाबले में डेफिसिट में रहे हैं । गत वर्ष का उत्पादन केवल 75 मिलियन टन का था और इसके कारण हमें विदेशों से बहुत आयात करना पड़ा, इस वर्ष भी बफर स्टाक रखने की दृष्टि से सरकार आयात कर रही है जो बुरा नहीं कहा जा सकता । लेकिन हमारे देश की आवश्यकता को अगर देखा जाय तो गत वर्ष के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 1964 में हमारा कंजम्पशन 67.70 मिलियन टन का था और नुकसान को जोड़ दिया जाय जो कि 13 मिलियन टन के करीब होता था तो इस तरह से 81 मिलियन टन की 1964 में आवश्यकता थी और जो कि आज 82, 83 या 84 मिलियन टन के करीब मानी जा सकती है, तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारे यहां लगभग 11 मिलियन टन अनाज सरप्लस है, यह बड़ी खुशी की बात है । लेकिन यह खुशी की बात होने के बावजूद भी क्या कारण है कि यह खुशी की बात केवल मंत्रालय तक ही हमारी सरकार सीमित रखना चाहती है, इस खुशी को गांव गांव में, नगर नगर में भेजना नहीं चाहती, बांटना नहीं चाहती । एक ओर तो अनाज लोगों के पास स्टाक में है और कहीं नहीं है । कहीं भाव सस्ता है तो कहीं भाव बहुत ज्यादा है । जहां भाव सस्ता है वहां के उत्पादक इसलिये परेशान हैं कि हमें दाम कम मिल रहा है और जहां दाम ज्यादा है वहां के उपभोक्ता परेशान हैं कि हमको अधिक दाम देना पड़ रहा है । खुशी है तो केवल हमारे केन्द्रीय मंत्रालय को, जिनको इस बात की प्रसन्नता है कि अनाज काफी है लेकिन जब तक देश में एक सरीखा भाव, मामूली अन्तर का भाव, नहीं हो पाता, उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर माल नहीं मिल पाता और उत्पादनकर्ता को भी उचित मूल्य नहीं मिल पाता, तब तक यह ठीक नहीं लगता और इस डिसपैरिटी को मिटाना हमारा प्रथम कर्तव्य है ।

उपाध्यक्षा महोदया, जो सरकार के द्वारा भाव के बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं, जो 19-1-68 का आखिरी बार का भाव था उसके हिसाब से गेहूं हरियाणा में 67 रु० प्रति क्विंटल के भाव पर था और उसी को यदि बिहार के सिंहभूम में खरीदा जाय तो उसका भाव 150 रु० प्रति क्विंटल का था और वर्धा में अगर खरीदा जाय, जिस प्रान्त से हमारे माननीय मंत्री जी आते हैं—तो वहां 160 रु० प्रति क्विंटल देना पड़ता और बंगलौर में 175 रु० प्रति क्विंटल देना पड़ता। इसी तरह से पैडी का हिसाब है । मद्रास में पैडी का भाव 42 रु० प्रति क्विंटल था और उसके पड़ोस में ही मैसूर में 81 रु० प्रति क्विंटल और मिदनापुर में 123.25 रु० प्रति क्विंटल था । चावल का भाव देखा जाय तो आंध्र में 73 रु० और 75 रु०

[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

प्रति क्विंटल का था और हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश में, 172 रु० प्रति क्विंटल का था। तो समाजवाद का नारा लगाते हैं, सारे राष्ट्र को एक कहते हैं मगर इन भावों में जो अन्तर है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि हमारे यहां पर एकसूत्रता है, भारतवर्ष एक है इसकी भावना को प्रोत्साहित करने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील नहीं। अब ज्वार का भाव ले लीजिये। हरियाणा में 45 रु० प्रति क्विंटल और मैसूर के बेलारी डिस्ट्रिक्ट में 100 रु० प्रति क्विंटल का भाव था। यह शासकीय रिपोर्ट के आधार पर है और अगर अभी के अखबारों को उठा कर देखा जाये, वर्तमान का जो भाव चल रहा है उसको देखा जाय तो पता लगता है कि हरियाणा और पंजाब में 70 रु० और 80 रु० प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं मिल सकता है और वही गेहूं बिहार में 155 रु० प्रति क्विंटल के भाव पर है—माननीय याजी जी को यह बता चुका हूं। इसी तरह से सब चीजों के भावों में इतना भयंकर अन्तर है कि उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है, अगर 10 परसेंट, 15 परसेन्ट का भी अन्तर हो तो उसे सहन किया जा सकता है मगर कहीं 67 रु० प्रति क्विंटल और कहीं 175 रु० प्रति क्विंटल का भाव चले, एक ओर अनाज पड़ा पड़ा गोदामों में सड़े, घुन खाये और दूसरी ओर लोग त्राहि त्राहि करें कि हमारे यहां पर अनाज नहीं मिल पा रहा है, तो ये दोनों बातें न्यायसंगत प्रतीत नहीं होतीं।

उपाध्यक्षा महोदया, अखबारों में जो अभी देखा तो उससे पता चला कि मध्य प्रदेश में गेहूं के सौदे अभी से 65 रु० प्रति क्विंटल के होने लगे हैं, यू० पी० में गये साल जो गेहूं का भाव था उससे इस समय 30 से 40 परसेंट कम के भाव पर सौदे होने लगे हैं। तो इस अन्तर को हमें समाप्त करना होगा। अगर हमने इस अन्तर को समाप्त करने का प्रयत्न किया तो उपभोक्ता जो 175 रु० प्रति क्विंटल का भाव दे रहा है उसको कम देना पड़ेगा और जो उत्पादनकर्ता है जिसको केवल 70 रु० प्रति क्विंटल का भाव मिलता है उसको कुछ अधिक मिल सकेगा। हमारी सरकार इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही, यह कुछ समझ में नहीं आता। सम्भवतः ऐसा लगता है कि जो इनको सलाह देने वाले हैं उनका इसमें कुछ हित होता होगा और जो यह नियंत्रण कर रखा है हमारे यहां राष्ट्र में उस नियंत्रण से कोई जनता का लाभ हो रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता।

महोदया, इस प्रकार के नियंत्रण से और ये जोंस बनाने से कौन लाभान्वित होता है यह बिल्कुल स्पष्ट है। सब से अधिक लाभान्वित होते हैं काला बाज़ार करने वाले, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को अगर एक ट्रक माल भी रवाना कर लेते हैं तो लाख रुपया कमा लेते हैं और फिर दूसरे नम्बर पर आते हैं वे शासकीय अधिकारी जो कि काला बाजार करने वालों को सहयोग देते हैं। यदि नाके पर पुलिस वाले को 500 रु० दे दिया तो 500 रु० उसकी जेब में आ गया और काला बाजार करने वाला अपना हजारों रुपया उधर बनायेगा। तीसरे नम्बर पर सहकारी समितियों में जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं वह इसका लाभ उठाते हैं, जो कि लोगों से 40 किलो० के बजाय साढ़े इकतालिस किलो० भी लेते हैं और फिर खराब माल निकाल कर भाव में भी कमी कर देते हैं। चौथे नम्बर पर उनको लाभ होता है जो कि हमारे फूड कारपोरेशन के अधिकारी हैं, जो कि कार्य करने में अपनी सक्षमता नहीं बता सकते वह लाभ उठाते हैं, अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये भावों को अधिक करने में फूड कारपोरेशन ने भी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया ऐसा नहीं कहा जा सकता, उन्होंने अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये जो मकई पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 55 रु० प्रति क्विंटल से खरीदी उसको ही उन्होंने 67 रु० से 80 रु० प्रति क्विंटल दूसरी जगह बेचा, जब कि साधारणतः मार्जिन 12 परसेंट या 15 परसेंट का होना चाहिये

उन्होंने 33 परसेंट का मार्जिन रखा । जो मकई आंध्र से 55 रु० या 60 रु० प्रति क्विंटल खरीदी उसी को कलकत्ते के बाजारों में शत प्रतिशत अधिक कीमत बढ़ा कर बेचा गया । तो यह सारी की सारी चीजें होती हैं, कांड होता है । अगर ये जोंस रखे जायेंगे तो यह परम्परा चलेगी । मध्य प्रदेश में गुलाबी चना, जिसकी मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, 95 रु० प्रति क्विंटल खरीदा और उससे ही लगी हुई सीमा में, महाराष्ट्र में वही चना जा कर 200 रु० प्रति क्विंटल के भाव से बेचा गया । इसको कहां तक हमारे मंत्री महोदय जस्टीफाई करेंगे । जो चना 95 रु० प्रति क्विंटल विदिसा में खरीदा गया वही 250 रु० प्रति क्विंटल महाराष्ट्र के बाजारों में बेचा गया । मध्य प्रदेश से मुरमुरे 50 रु० प्रति क्विंटल के डिफरेंस पर बाहर भेजे गये । तो इतना अन्तर क्यों । क्या एक क्षेत्र के रहने वाले ही भारत के नागरिक हैं दूसरे क्षेत्र के रहने वाले भारत के नागरिक नहीं हैं । क्यों हमारे एक क्षेत्र का रहने वाला नागरिक सस्ता अनाज खाये और दूसरे क्षेत्र का रहने वाला नागरिक महंगा अनाज खाये और फिर यह कहते रहें कि हमारा सारा देश एक है, हमारे देश में किसी तरह के भेदभाव नहीं रखने चाहिये, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लम्बाई चौड़ाई के आधार पर, न ऊंचाई के आधार पर, लेकिन क्या कारण है कि एक प्रान्त के रहने वाले को आप महंगा अनाज देना चाहते हैं और दूसरे प्रान्त के रहने वाले को सस्ते अनाज का लाभ मिलता है और हमारे किसान की कीमत जो कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होनी चाहिये, उस आधार पर उसको जो लाभ मिलना चाहिये उस लाभ से उसको वंचित करते हैं । हमारे शासन का तरीका कुछ विचित्र सा ही चलता है । 40 किलो० की जगह साढ़े इक्तालिस किलो० लिया गया और फिर जो 38 रु० में ज्वार खरीदी उसको 45 और 55 रु० में बेचा । इसी तरह से गहूँ के भाव भी ज्यादा लगाये । लेकिन अब यह जो पुरानी आडिट रिपोर्ट निकली थी उसके हिसाब से 1964-65 तक के साल तक हमारे केन्द्रीय सरकार को उसमें 1 अरब 98 करोड़ 61 लाख 59 हजार 871 रु० का नुकसान उठाना पड़ा और केवल 1964-65 के साल में 33 करोड़ 93 लाख 82 हजार 453 रु० का नुकसान उठाना पड़ा । तो हमने लोगों से सस्ता लिया, बाजार में महंगा बेचा फिर भी ट्रेजरी से इतना रुपया लोगों का डूबा कर के घाटा उठाया । तो यह कुछ न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

उपाध्यक्षा महोदया, अब देखिये कि जो सबसिडी शासन की ओर से दी गई वह 1966-67 के लिये 106 करोड़ 84 लाख रु० की एस्टीमेटेड थी और 1967-68 के बजट में भी उसकी व्यवस्था की गई थी और वह उससे अधिक थी । और अभी भी रखा है, मगर वह नाममात्र का रखा है । ऐसी स्थिति में हमारी सरकार किस आधार पर सारा व्यापार अपने हाथ में लेकर और सारा नियंत्रित करके काम करना चाहती है । जब अनाज सरप्लस नहीं था तब तो हमारी सरकार यह कह सकती थी कि हमारे यहां पर अन्न का संकट है और ये व्यापारी लोग गोदामों में अपना सारा अनाज छिपा लेंगे या लोगों को अनाज पहुंच नहीं पायेगा, व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, गरीब आदमियों को परेशानी होगी, इसलिये अनाज का व्यापार अपने हाथ में ले लेने से उचित वितरण हो जायेगा । इस दृष्टि से नियंत्रण और वितरण के लिए सारे जोंस की आवश्यकता समझी गई कि स्टेट्स के हिसाब से पौकेट्स बना लें और जिस पाकेट में जितनी आवश्यकता पड़े उतना अनाज भेज दिया जाय । आज हम स्पष्ट देख रहे हैं कि हमारे यहां पर अनाज सरप्लस है और सरप्लस ही नहीं जब सरकार इतनी घोषणा करती है कि एग्रिकलचर इन्डस्ट्री को लाभ देने की दृष्टि से हमको अधिक से अधिक उनको सपोर्ट प्राइस देना चाहिये, चाहे राष्ट्रपति के भाषण को उठा लीजिए, चाहे कृषि मंत्री के भाषण को उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, सभी इस बात की ताईद करते हैं कि हमको सपोर्ट प्राइस काश्तकार को देना चाहिये मगर जब

[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

सपोर्ट प्राइस की बात की जाती है, जब बाजार में अनाज की कमी होती है तो उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वह हमारे सरकारी नियंत्रण में आ जाता है। जब छोटे किसान को अधिक दाम मिलने की बात आती है तब हमारी सरकार कहती है : नहीं, नहीं हम तुमको सपोर्ट प्राइस देना चाहते हैं। जो शासन के द्वारा निर्धारित दरें हैं उनमें भी कमी आ रही है। हमारी सरकार के पास मार्केटिंग एजेंसी नहीं । अगर यह कहा जाय कि हमारी सरकार ही केवल मात्र एजेन्सी है जो सारे राष्ट्र में जितना सरप्लस अनाज है, वह खरीद कर रख सकेगी तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं होगी, कल से ही सरकार वह योजना प्रारम्भ कर दे, मगर ज़रा यह कहने के पहले अपने स्टेटिस्टिक्स और आंकड़ों को देख लें कि उनकी क्षमता कितनी है। उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था तीसरी योजना के अन्तर्गत, उसमें कहा गया था कि 4.25 लाख टन माल रखने की क्षमता तक के गोदाम बनाएंगे, मगर वास्तव में हमारी सरकार कुल 2.23 लाख टन अनाज गोदामों में रखने की क्षमता प्राप्त कर सकी। किस तरह से हमारी सरकार चाहती है कि सारे का सारा केन्द्रित करके फूड कारपोरेशन के माध्यम से हम सारा नियंत्रित कर सकेंगे और हमारा जो आज राष्ट्र में सरप्लस अनाज पैदा हो गया है उसको संग्रहित करके रखने की व्यवस्था कर सकेंगे।

महोदया, जहां तक नुकसानी का सवाल है उसक आंकड़े भी कई बार मिल चुके हैं। हमारी सरकार के गोदामों में भी नुकसानी होती है। सरकार जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट करती है तो कभी रेलवे स्टेशन पर पानी और बरसात के कारण काफी अनाज में नुकसानी हुई है, इसमें दो मत नहीं। कभी अनाज समुद्र में डुबाना पड़ा है, कभी अनाज गंगा में बहाना पड़ा है। अखबारों में इसकी बाबत छपा था, एक या दो साल पहले की ये घटनाएं हैं। तो इस तरह से अनाज काफी मात्रा में हमारे यहां नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में क्यों सरकार को ही इसका अधिकार दिया जाय। यह सरकार अपनी क्षमता को समझ कर क्यों ज़ोंस लागू रखे यह कोई उचित प्रतीत नहीं होता।

महोदया, इन्होंने तो योजना बनाई थी कि हम अपने यहां इतने इतने मालगोदाम खोलेंगे। 1961 से ही पोन्टा, जोगीन्द्रनगर, सोलन, त्रिपुरा और इम्फाल में गोदाम बनाने के लिए सजेशन था। मगर आज तक वहां गोदाम बने नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह जो सरप्लस अनाज है क्या उसका हमारी सरकार स्टोर कर सकेगी प्रापरली—यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर हमारी सरकार ने वैसा निर्णय नहीं लिया तो उसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश में जो अभी सरप्लस अनाज पैदा हुआ है वह सारा का सारा गायब हो जायेगा, नष्ट भी हो सकता है और उस को हम संग्रहित नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा यह नम्र निवेदन है कि पहले सारे देश को एक देश समझ कर सारे ज़ोन्स तुरन्त समाप्त कर दिये जाने चाहिये।

अभी हाल में जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेन्स हुई थी उसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स का यही मत रहा था कि हमारे यहां के ज़ोन्स अबालिश कर दिये जायं। (*Interruptions*) कुछ का रहा, मध्य प्रदेश वाले ने कहा है, समाचार आया है, आप चाहे नां करते रहें। मैं बताता हूं आपको। इसके साथ ही कुछ ने इतना कहा था कि जो प्राइसेज फिक्स की गई हैं उसमें वृद्धि करनी चाहिये। जहां तक गन्ने का सवाल है, हमारे यहां गन्ने के बारे में सरकार ने इस नीति को अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को नियंत्रित दर पर चीनी मिल सकी और गन्ना उत्पादकों को गन्ने की ठीक कीमत मिली। इस तरह की उसमें छूट दी गई है। तो एक तरफ हमारी सरकार गन्ना उत्पादन करने वालों को आकर्षित करने के लिये उनको छट देना चाहती है कि वह किस को किस दर पर बेच सकें और दूसरी ओर खाद्यान्न उत्पादन करने वालों को हमारी सरकार वह छूट देना नहीं चाहती, उनको स्वतंत्रता देना नहीं चाहती और उनको

सहयोग देना नहीं चाहती जिससे उनको उचित दाम मिल सके। महोदया, अगर सीमेन्ट की इन्डस्ट्री होगी तो उसका विकास करने की दृष्टि से हमारी सरकार सीमेंट के कारखाने वालों को इस बात की छूट देती है कि इतनी कीमतें और बढ़ा लो ताकि तुम्हारा यह फन्ड बढ़ जायेगा जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी नयी नयी सीमेंट इन्डस्ट्रीज काम करने लगीं। मगर इस दृष्टि से काश्तकारों के लिये नहीं सोचा गया।

प्राइस कमीशन ने आज तक इस बात की चेष्टा नहीं की कि वह यह देखती कि मार्जिनल टाइप लैन्ड पर कास्ट आफ़ प्रोडक्शन किस चीज को पैदा करने में कितना होता है और वास्तव में उसको कितना मिलता है। उपसभापति महोदया, अगर किसी फिएट मोटर कार की या किसी ट्रैक्टर की कीमत तय करनी होती तो हमारे ये जो बड़े बड़े कमीशन बैठते हैं वह निश्चित रूप से उन कंपनियों के पक्ष में अपने आंकड़े बैठा कर उसी के अनुसार कीमतें तय करते, मगर यह जो हमारा एग्रिकलचरल प्राइस कमीशन बैठा, जिसका यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि हमारे काश्तकार को केवल खर्चे की कीमत नहीं मिले मगर उसको उसमें लाभ भी मिल सके इस दृष्टि से कीमतें तय करें लेकिन वह हमारे एग्रिकलचरल प्राइस कमीशन ने नहीं किया, वह केवल आर्बिट्रेरी दृष्टि से किया, बल्कि इतने तक भाव इतना हो जायेगा, ऐसा कर देने से इतना लाभ होगा या नहीं होगा, इस दृष्टि से, केवल अपने अंदाज के आधार पर हमारी सारी कीमतें तय करता है और इसलिये यह अ यंत आवश्यक है कि हमारी सरकार कीमतों का निर्धारण करे जैसा कि कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने अपने सुझाव में भी दिया है कि कीमतें बढ़ायी जानी चाहियें और इस ढंग से बढ़ानी चाहियें कि जिससे किसानों के लिये आकर्षण हो, जिस तरह से किसानों को आकर्षित करने के लिये गन्ने के दाम तय करके किया गया है जिससे वह गन्ना ज्यादा पैदा करें उसी तरह से किसानों को अधिक अन्न उत्पादन के लिये आकर्षण देने के लिये कीमतें तय करनी चाहियें जिस से अपने देश में आज जो हम अन्न की कमी महसूस कर रहे हैं वह कमी दूर की जा सके।

उपसभापति महोदया, अब ये जोन टूटेंगे, तो हम जो चाहते हैं कि जोन टूटें तो उसके परिणामस्वरूप जो यह एक जगह सस्ता माल पड़ा हुआ है वह अगर मार्केट में जायेगा तो उसकी कीमतें बराबर हो सकेंगी—हमारे मंत्री महोदय अगर इस बात का जवाब दे सकें तो देवें कि क्या कारण है एक जगह सस्ता अनाज हो रहा है दूसरी जगह महंगा अनाज दिलाना चाहते हैं, क्यों नहीं ऐसा कदम उठाते जिससे कि सब की कीमतें ठीक हो सकें और सारे राष्ट्र में एक पैरिटी हो सके क्योंकि हमारे देश के एक भाग के निवासी को सस्ता अनाज देने की व्यवस्था कर रखी है और दूसरे को महंगा अनाज मिलता है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहला सुझाव यह है कि हमारी सरकार को अविलम्ब सब जोन तोड़ देने चाहियें, जितने भी खाद्य जोन बना रखे हैं वे तोड़ देने चाहियें। अगर इस बात की शंका हो कि हमारे देश की सीमा पर लगे हुए क्षेत्र से चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे चीन में, अगर हमारे यहां की सामग्री चली जाने की बात हो तो उसके लिये जो भी नियंत्रण आवश्यक हों वह जरूर लगायें, उसमें मैं कभी आपत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्र का अनाज जो कि हमारे लिये आवश्यक है वह दूसरे राष्ट्र में चला जाय, यह मैं भी कभी सहन नहीं कर सकता।

THR MINISTEB OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRl ANNASAHEB SHINDE): My only point is whether we should remove the zones without the consent of the Slate Governments ?

श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया: महोदया यह बात ऐसी कही मंत्री जी ने कि जैसे

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया] : सारे काम प्रान्तीय सरकारों की राय से ही कर रहे हों। मेरा यह नम्र निवेदन है कि यदि आप उनको सारी बातें समझाएं. . .

श्री डाह्याभाई व० पटेल (गुजरात) : प्राविन्शियल गवर्मेन्ट्स तो आपके बाल बच्चे हैं।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : The Orissa Government is opposed ; what oan be done?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL ' The Orissa Government is opposed because your previous Congress Min s-try put that province into bankruptcy. Remove that bankruptcy and they will agree to it immediately. It is th© doing of Mr. Biju Patnaik.

(Time 11,11 rirm)

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : इसका जवाब केवल यही हो सकता है कि यदि हमारे मंत्री महोदय कन्विन्स हो गये हों कि वह भार लेना चाहते हैं, केवल प्रान्तीय सरकार सहमति दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर स्वयं ही नहीं सहमत हो सकते . . .

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : अगर किदवई साहब की तरह साहस हो, the you can do it.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभापति महोदया इस दृष्टि से प्रान्तीय सरकार का आधार लेकर हमारी सरकार जो कह रही है इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रान्तीय सरकार यह जानती है कि सेन्टर से हमें आवश्यकता पड़ी तो हमको कष्ट पड़ेगा, कठिनाई पड़ेगी। अगर सारे देश में एक नीति का निर्धारण करके यह सरकार चलना चाहती है तो यह स्पष्ट घोषित कर दे कि इस नीति में कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। मेरा अभी भी मत है कि प्रान्तीय सरकार इस बात के लिये सहमति दे सकती है क्योंकि वह जानती है कि बिहार में जहां गेहूं 155 रु0 या 125 रु0 मिल रहा है प्रति क्विंटल, वहां दिल्ली में गेहूं 70 या 80 रु0 क्विंटल बिक रहा है और यहां सरकारी राशन की दुकानों पर मिलता है 103 रुपया।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Your time is over. You began at 4-28 P.M,

SHRI V. M. CHORDIA : I have five minutes more.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, you have got five minutes more. Please carry OD.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : आज हमारी सरकार की दुकानों पर 103 रु0 प्रति क्विन्टल गेहूं बिक रहा है जबकि खुले बाजार में गेहूं का भाव 90 और 95 रु0 प्रति क्विन्टल हो गया है। आज राशन की दुकानों से कोई भी आदमी गेहूं नहीं खरीद रहा है क्योंकि जब उसको बाजार में सस्ता गेहूं मिल रहा है तो वह महंगा गेहूं क्यों खरीदेगा। आज सरकार अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये इतना घाटा उठा रही है और इस तरह से वह जो नीति अपना रही है उससे उसको नुकसान ही होने वाला है।

इसलिए में सबसे पहले यह चाहता हूं कि जितने भी जोन्स हैं वे सब समाप्त कर दिये जायें। दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि जहां पर सरकार ने भाव निश्चित कर दिये है वहां उससे भी भाव कम चले गये हैं और वहां पर सरकार को तुरन्त खरीद आरम्भ कर देनी चाहिये क्योंकि हमारी सरकार की खरीद की रफ्तार बहुत सुस्त है।

उपसभापति महोदया, आप जानती होंगी कि अभी नया गेहूं बाजार में नहीं आ या है और उसके पहले ही भाव इतने कम हो गये हैं और यही कारण है कि किसान कम दाम पर गेहूं बेचने के लिये तैयार हो गया है और सरकारी दाम से भी कम दाम पर बेचने के लिये तैयार हो गया है। जब नया गेहूं आ जायेगा तो फिर उसकी क्या हालत होगी क्योंकि सरकार की जो खरीद की कीमत है वह कम है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह किसान का गेहूं उचित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो लोग अपने गोदाम बनाना चाहते हैं अनाज को प्रिजर्व करने के लिये, उन लोगों को बिल्डिंग मैटिरियल नियंत्रित भाव पर दिलाया जाना चाहिये । उनको कर्ज देने की व्यवस्था की जानी चाहिये । उनको स्पैसिफिकेशन बतलाया जाना चाहिये कि इस तरह के गोदाम बनाये जाने चाहियें जिसमें की अनाज ठीक तरह से रखा जा सके । इन बातों की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये ।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने इंडस्ट्रीज के लिये बैंक रेट कम कर दिये हैं, उसी तरह से किसानों को अनाज के गोदामों में स्टाक करने के लिये सहायता दी जानी चाहिये, चाहे सरकार लेखाजोखा अपने पास रखे । इस तरह से सरकार को उनके लिये भी बैंक रेट कम करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

पांचवी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाज को किस तरह से गोदामों में रखा जाता है, किस तरह से गोदाम बनाये जा सकते हैं, इन सब बातों की ट्रेनिंग किसानों को दी जानी चाहिये ।

इसके बाद जो सब से मूल बात है, वह यह है कि जब तक सरकार किसानों को उसकी उपज का आकर्षक भाव नहीं देगी तब तक हमारे देश में अन्न ज्यादा नहीं हो सकता है और न अन्न की समस्या ही हल हो सकती है । इस साल अनाज की कीमतें गिर जाने की वजह से किसान फिर मनीक्राप की ओर चला गया है । इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार उनकी उपज का आकर्षक दाम नहीं देगी तो जिस तरह से महाराष्ट्र का किसान गन्ने की पैदावार की तरफ चला गया है और मध्य प्रदेश का किसान अफीम की पैदावार की ओर चला गया है उसी तरह से और प्रान्त के किसान भी कमर्शियल क्राप की ओर चले जायेंगे । अगर उसको अनाज के उचित दाम नहीं मिलेंगे तो फिर वह कमर्शियल क्राप की ओर चला जायेगा । आज जो हमारे चेहरों में हंसी की लहर दौड़ रही है देश में फैल रही है, वह समाप्त हो जायेगी । इसलिये जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उसको मंजूर करने की कृपा करें ।

The question was proposed.

श्रीमती ताराबाई साठे (महाराष्ट्र) : उप-सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने एक बड़े महत्व का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और जो जीवन की सब से आवश्यक वस्तु अनाज है, उससे संबंधित है । इसलिये उन्होंने जो यह प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूँ ।

जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में बतलाया कि इस साल सब जगह पर बम्पर क्राप हुई है, लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहती हूं कि कई ऐसे प्रान्त हैं जहां पर ज्यादा फसल नहीं हुई है । ऐसी कई जगह देश में हैं जहां पर अकाल अभी भी चल रहा है । हमारे महाराष्ट्र में पूना और कई जिलों में अकाल चल रहा है । यह बात शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं तो यह बात सरकार को बहुत सावधानी के साथ सोचनी चाहिये । हमारे देश में लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और साथ ही देश में कई प्रान्तों में अनाज की पैदावार भी कम हुई है । इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि हमारे देश में सब जगह अच्छी फसल हुई है । लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर हमारे देश में अच्छी फसल होगी तो हमारे पास स्टाक अच्छा हो जायेगा ताकि वह अकाल के समय काम आ सके । इस बात को भी सरकार को बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिये ।

माननीय सदस्य ने अनाज के दामों में समानता की बात कही । तो मेरा निवेदन है कि दामों के साथ बांट में भी समानता होनी चाहिये और जहां पर अकाल की स्थिति है वहां पर अनाज को जल्द से जल्द पहुंचाया जाना चाहिये । अगर सरकार इस बात का ख्याल नहीं करेगी और जोन्स को समाप्त कर देगी तो इसमें मुश्किल आने वाली है । अगर सरकार जोन्स खत्म कर देगी तो जो व्यापारी हैं वे अनाज के दाम बढ़ा देंगे और इस तरह से ज्यादा मुनाफा कमायेंगे । सरकार

[श्रीमती ताराबाई साठे]

तो मुनाफा ज्यादा नहीं उठाती है । महाराष्ट्र में जब अकाल था तो बम्बई के जो व्यापारी थे वे अनाज का ज्यादा दाम ले रहे थे और लोगों से मुनाफा उठा रहे थे । इसलिये सरकार को इस बात में भी सावधानी के साथ सोचना चाहिये । अगर इस समय हमारे देश में बम्पर क्राप है तो सरकार को बम्पर स्टाक भी करना चाहिये ।

श्री निरंजन वर्मा : अभी माननीय सदस्या ने कहा कि सरकार मुनाफा नहीं उठाती है । तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के शासन ने 90 रु० क्विन्टल गुलाबी चना बम्बई को भेजा था और वहां उसको सारे महाराष्ट्र में 250 रु० प्रति क्विन्टल बेचा गया । तो क्या इस तरह से शासन ने लाभ नहीं कमाया ?

श्रीमती ताराबाई साठे : यह तो एक अलग चीज है । लेकिन रेजोल्यूशन में जो यह बात बतलाई गई है कि इस साल बम्पर क्राप हुई है वह गलत बात है । क्योंकि जहां जहां अनाज नहीं मिलता है वहां सरकार को देना चाहिये और सब को समानता के साथ राशन की दुकानों द्वारा मिलना चाहिये । अगर सरकार इस तरह का प्रबन्ध नहीं कर सकती है तो और कोई दूसरा नहीं कर सकता है । माननीय सदस्य ने कहा कि अनाज सस्ता हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इसको और भी ज्यादा सस्ता होना चाहिये और सबको समानता के साथ मिलना चाहिये । आप सब लोगों को मालूम है कि कलकत्ते में अनाज के बिना इतने लोग मर गये । वहां पर अनाज था मगर बांट ठीक नहीं थी जिसकी वजह से इतने लोग मर गये । इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि बम्पर स्टाक रखना चाहिये और सब जगह उसको समानता के साथ बांटना चाहिये ।

दूसरी जो यह बात रिजोल्यूशन में कही गई है कि अनाज सस्ता हो गया है, वह गलत है । सस्ता अनाज नहीं हुआ है । मैं गृहणियों की तरफ से कहना चाहती हूं कि जनता को माल सस्ता नहीं मिलता है । फसल ज्यादा होने से शायद काश्तकारों की कीमत कम हो गई है । लेकिन कीमत कम करना होगा क्योंकि बगैर कम कीमत किये झगड़े फ़साद होते रहते हैं और इस तरह से देश में कोई काम नहीं होता है । इसलिये मैं सुझाव देना चाहती हूं कि काश्तकारों की मदद करनी चाहिये । उन्हें खाद दिया जाना चाहिये, उनके लिये कुंएं खुदवाये जाने चाहियें, बैल की जोड़ी दी जानी चाहिये, उन्हें अच्छा बीज दिया जाना चाहिये और ये सब चीजें उन्हें काइन्ड पर दी जानी चाहियें । इसके लिये उनसे पैसा नहीं लिया जाना चाहिये । उनको भी इस तरह से सस्ती चीजें मिलनी चाहियें और जो अनाज पैदा होगा वह भी सरकार को सस्ता मिलना चाहियें ।

माननीय सदस्य ने जोन्स खत्म करने की बात कही है । तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर जोन्स समाप्त कर दिये जायेंगे तो काला बाजार बढ़ेगा । इस समय जो काला बाजार हो रहा है वह सफेद बाजार हो जायेगा । मैं औरतों की तरफ से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से चीनी में आज हो रहा है । चीनी आज राशन में कम मिलती है और बाजार में वह तीन चार और पांच रुपया किलो तक मिल रही है । जिस तरह से चीनी का पहले काला बाजार सफेद बाजार में बदल गया है, उसी तरह से अनाज का भी हो जायेगा अगर जोन्स को खत्म कर दिया जायेगा । इसका भी जो अभी ब्लेकमार्केट होता था वह सफेद मार्केट में बदल जायेगा और इस तरह से लोगों को सस्ता नहीं मिलेगा । इसका फायदा तो व्यापारियों को ही होगा । व्यापारी लोग अनाज को छिपा देंगे और फिर कमी करके उसके भाव बढ़ा देंगे जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा दाम पर मिलेगा । इसका नतीजा देश में फिर परेशानी हो जायेगी और व्यापारियों को ही इससे फायदा होगा । इसलिये मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि जैसा चीफ मिनिस्टरों की कांफ्रेंस में बतलाया गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बफर स्टाक करना चाहिये, वह सरकार को करना चाहिये और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको खुद करना चाहिये ।

जोनों को खत्म करने के लिये प्रस्ताव में काफी प्रचार किया गया है । जब किसी चीज का ज्यादा प्रचार किया जाता है, लोग उसको सुनते रहते हैं तो वे समझते हैं कि यह बात ठीक है । अगर किसी झूठी बात को भी दस बार कहा जायेगा तो लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं और समझते हैं कि यह बात ठीक ही होगी । इसी तरह से आज जोन्स के बारे में प्रचार किया जा रहा है कि इनको खत्म किया जाय जिससे देश में अनाज की स्थिति अच्छी हो सके । अगर जोन्स समाप्त कर दिये जायेंगे तो क्या हम लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा ? जोन्स को खत्म करने से जनता को न सस्ता अनाज मिलेगा और उसकी कठिनाई और बढ़ जायेगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि अनाज को सब जगह समानता के साथ बांटा जाय ।

इसलिये जो यह प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करती हूं । हमें अनाज के महत्व की बात को समझना चाहिये । जब जनता को अनाज अच्छी तरह से नहीं मिलेगा तो देश में गड़बड़ फ़साद झगड़े होंगे और देश उन्नति नहीं कर सकेगा ।

5. PM.

जब मंहगाई हो जायगी और कितनी मंहगाई और बढ़ रही है, सस्ताई तो कुछ हुई नहीं, आप लोग शायद जानते नहीं हैं, मगर सब दुनिया जानती है कि कितनी मंहगाई बढ़ रही है, दो पैसे नीचे आते हैं, छः पैसे ऊपर जाते हैं ऐसी मंहगाई काफी हो रही है और संस्कृत में कहा है :

बुभुक्षतें किम् न करोति पापम्

जब मंहगाई हो जायगी, किसी को अनाज ठीक से नही मिलेगा तो देश में क्या क्या पाप हो जायगा यह बता नहीं सकते ।

माननीया उपाध्यक्षा महोदया, चूंकि मुझे मालूम है कि 5 बजे यह खत्म करना है, इस लिये मैं ज्यादा बातें करना नहीं चाहती हूँ । मैं फिर इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

SHORT DURATION DISCUSSION UNDER RULE 176

RE GROWING UNEMPLOYMENT AMONG ENGINEERING GRADUATES AND DIPLOMA-HOLDERS IN THE COUNTRY

THE DEPUTY CHAIRMAN : We come to the Short Duration Discussion under rule 176. The time allotted by the Chairman is 2| hours. Mr. Dharia, you will take about fifteen minutes and the rest ten minutes each. A number of speakers are there.

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra) . Madam Deputy Chairman, this problem of the unemployed educated and particularly of the unemployed engineers, both degree-holders and diploma-holders has agitated the mind of everybody in the country. We are aware that during the last three Plans nearly 13 million could be given new employment. At the same time we are equally aware that the backlog of imemployment at the beginning of the Fourth Five Year Plan was to the tune of 9 to 10 million. Unemployment is of various types. There is unemployment of scientists and there is unemployment of the educated, because we know there are as per the Government figures more than 1,17,000 persons who are educated, who are graduates, but who are unemployed. Then there is the vast mass of uneducated people or partially educated people who are unemployed. Even during this year I am afraid nearly 20 Iakh students will appear for the matriculation or S. S. C. examination, and at the most 3 lakh students may be qualified to join colleges or technical schools or may find employment somewhere, and 17 lakh students will be there who shall be reaching that age limit between 15 and 17 who ' shall be lost in the valley of frustration | and shall he loitering in the streets